आदेश पत्रक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/253
मुकदमा नम्बर 92/2024 दर्ज दिनांक– 06.06.2024

सुनिल कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी कोलसिया जाति जाट, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री संदीप कुमार
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 19.07.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में भूमि खाता सं. नया 363 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 957 रकबा 0.70 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.70 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संजय कुमार के बजाय सुनिल कुमार दुरूस्त किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रा. पत्र के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट 2383 दिनांक 11/7/2024 पेश कि गई जिसके अनुसार नाम दुरूस्त किया जाना उचित बताया गया।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में भूमि खाता सं. नया 363 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 957 रकबा 0.70 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.70 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संजय कुमार के बजाय सुनिल कुमार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय/आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner